


| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 23.10.2019 | <p>राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 82/2019 अनवान श्रवणराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम</p> <p>पत्रावली पेश हुई । पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड एवं तथ्यों का अवलोकन व अध्ययन किया। तहसीलदार लूणी के पत्र क्रमांक/भू अ./2019/3042 दिनांक 14.10.19 के रिपोर्ट अनुसार ग्राम चिचडली के खाता से 213 जमाबंदी संवत 2070-73 में दर्ज खातेदार चूना पुत्र प्रहलाद के स्थान पर चूनाराम पुत्र प्रहलादराम किया जाना उचित है। प्रस्तुत प्रकरण के उभय पक्ष को सुना गया तथा पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट से चूना पुत्र प्रहलाद के स्थान पर चूनाराम पुत्र प्रहलादराम नाम के एक ही व्यक्ति होना प्रथमदृष्टया प्रकट हुआ है।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिकारियों 1956 के स्वीकार किया जाता है। कि प्रार्थी के ग्राम चिचडली के खाता संख्या 213 जमाबंदी संवत 2070-73 में दर्ज कृषि भूमि में प्रार्थी के हिस्से की भूमि से संबंधित समस्त राजस्व अभिलेखों में चूना पुत्र प्रहलाद के स्थान पर चूनाराम पुत्र प्रहलादराम जाति मेघवाल निवासी राठीयों की ढाणी लूणावास खारा तहसील लूणी जिला जोधपुर तहसीलदार लूणी को रेकॉर्ड दुरुस्त करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> | |


 सहायक कलेक्टर एवं उपसभ्य अधिकारी
 लूणी (जोधपुर) राज.